न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 190/2020

प्रदीप पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी बास नानग तहसील झुंझुनूं जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट

——

अपील बखिलाफ आदेश न्यायालय तहसीलदार झुंझुनूं उनवानी मुकदमा सरकार बनाम प्रदीप अ.धारा 91 राज. भु.राज.अधिनियम मु.न. 119/2018 बखिलाफ आदेश दिनांक 30.01.2019

——

उपस्थित:–

1. श्री रणजीत सिंह, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी – राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 25.01.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 30.01.2019 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. व स्थगन के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील के तथ्य निम्न प्रकार से है कि अदालत मातहत का आदेश विरूद्ध कानून व पत्रावली है। वाके ग्राम बास नानग में सरकारी भूमि ख.न. 68 के दक्षिण में अपीलान्ट की काश्त की भूमि ख.न. 808/672 तादादी 1.15 हैक्टर व ख.न. 810/70 तादादी 0.50 हैक्टर काश्त की जमीन सटकर के है व प्रार्थी की काश्त की जमीन के बाड़ पुश्तैनी समय से ही है। अब कोई नया काम नहीं किया है व प्रार्थी ने अदालत मातहत में भी अपने जबाब में साफ दर्ज किया था कि अपीलान्ट का कोई नया काम नहीं है। अपीलान्ट की बाड़ पुरानी है व इसी आधार पर तहसीलदार साहब ने अपीलान्ट को कहा था कि यह कार्यवाही ड्रॉप की जाती है व पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का की टीम बनाकर के सरकारी जमीन की व आस पास के सभी की जमीनों की नपती करवाकर के अगर अतिक्रमण हुआ तो नये सिरे से कार्यवाही करेगें। अदालत मातहत के यह कहने पर अपीलान्ट ने अपने मुकदमें की तरफ गौर नहीं किया अपीलान्ट तहसीलदार जी के कथन पर विश्वास कर घर बैठ गया। अदालत मातहत ने अपने आदेश दिनांक 30.01.2019 में यह दर्ज किया है कि जबाब नोटिस पेश होने पर पुनः जांच करवाई दर्ज किया है, परन्तु पत्रावली पर कही भी यह दर्ज नहीं है कि पटवारी से दुबारा जांच करवाई जावे व बिना आर्डर सीट में आये व बिना दुबारा जांच का आदेश देने का कथन पत्रावली पर नहीं है। अदालत मातहत ने [illegible] गौर नहीं किया व बाला–बाला ही अपीलान्ट के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित [illegible] कानूनी की है। अपीलान्ट के कथन की ताईद अदालत मातहत द्वारा जारी दफा 91 के नोटिस से भी जिसमें यह दर्ज नहीं है कि किस वर्ष अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट अपनी काश्त की जमीन पर ही अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.02.03 17:16:11 IST
Reason: SelfAttested

पूर्वजो के समय से आबाद है व अपीलान्ट की काश्त की जमीन के बाड़ भी पूर्वजो के समय से ही है। अपीलान्ट ने अपनी काश्त की जमीन की आवारा पशुओ से फसल के बचाव हेतु बाड़ पूर्वजों के समय से ही कर रखी है। अपीलान्ट ने कोई नई बाड़ नहीं की है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 30.01.2019 को निरस्त फरमाया जावें।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने लिखित बहस व दस्तावेज सूची किता 4 पेश कर बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि वाके ग्राम बास नानग में सरकारी भूमि ख.न. 68 के दक्षिण में अपीलान्ट की काश्त की भूमि ख.न. 808/672 तादादी 1.15 हैक्टर व ख.न. 810/70 तादादी 0.50 हैक्टर काश्त की जमीन सटकर के है व प्रार्थी की काश्त की जमीन के बाड़ पुश्तैनी समय से ही है। अब कोई नया कार्य नही किया है। अदालत मातहत ने अपने आदेश दिनांक 30.01.2019 में यह दर्ज किया है कि जवाब नोटिस पेश होने पर पुनः जांच करवाई दर्ज किया है परन्तु पत्रावली पर कही भी यह दर्ज नहीं है कि पटवारी से दुबारा जांच करवाई जावे व बिना आर्डर सीट में आये व बिना दुबारा जांच का आदेश देने का कथन पत्रावली पर नहीं है। अदालत मातहत ने इस तरफ गौर नहीं किया व बाला – बाला ही अपीलान्ट के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 30.01.2019 को निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अतिक्रमण की गई भूमि की किस्म गैर मुमकिन चारागाह की भूमि है जो राजकीय भूमि है। जिस पर अपीलान्ट ने टीनशेड व बाड बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। जिसका अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। जो विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट की अपील में कोई बोर्ड नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा बास नानग स्थित भूमि खसरा नम्बर 68 रकबा 1.15 गैर मुमकीन चारागाह में से 0.03 हैक्टर पर अपीलान्ट को अतिक्रमी माना है। उक्त अतिक्रमण की बाबत अपीलान्ट का केवल यह तर्क है कि अपीलान्ट ने कोई नया निर्माण नहीं किया है तथा कब्जा पुराना है। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकीन चारागाह जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि आती है। भूमि राजकीय है, जिसपर किसी निजी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का किया गया कब्जा अवैध तथा कानून गलत है। अपीलान्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य सबूत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे उसके कब्जे को वैध माना जा सकें। अपीलान्ट अपना पक्ष रखने में विफल रहे है। अपील अपीलान्ट में कोई फॉर्स नहीं है।

अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.02.03 17:16:11 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
झुंझुनू